मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498

ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2013

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि		24.01.2013
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि		23.02.2013
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सशोधन करने की प्रारम्भ तिथि		24.02.2013
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सशोधन करने की अंतिम तिथि		05.03.2013
परीक्षा दिनांक व दिन		दि. 31.03.2013, रविवार
परीक्षा शुल्क	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए :–	रु. 500/–
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए :–	रु. 250/–
ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 50/– देय होगा।		

समय सारणी

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉ भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
31.03.2013 रविवार	प्रातः 11:00 बजे से	प्रातः 11:00 बजे से	प्रातः 11:00 से 11:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 11:10 बजे	प्रातः 11:10 से 11:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 11:15 से 01:15 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :–

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा कक्ष में सेल्युलर, मोबाईल फोन, केल्कूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
4. ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जवाबदारी/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा हाल में फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः– आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/डाइविंग लाइसेस/आयकर विभाग का पेनकार्ड/पासपोर्ट/बैंक पासबुक/शासकीय संस्था द्वारा जारी किया हुआ फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2013

विषय–सूची

स. क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1	अध्याय–1 – पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक जी. डी. की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2013 के लिए विभागीय नियम	03–18
2	अध्याय–2 – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	19–24
3	अध्याय–3 – विस्तृत पाठ्यक्रम	25
4	अध्याय–4 – आवश्यक प्रमाण–पत्रों के प्रारूप	26–31

अध्याय – 1
पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2013 के लिए विभागीय नियम

1.1 सामान्य :–

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं. पुमु/2–चयन/स 3/36/13 दिनांक 08.01.13 एवं पत्र क्र0 पुमु/2–चयन/स 3/60/13 दिनांक 17.01.13 द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षक (जी. डी.), आरक्षक (चालक), तथा आरक्षक (ट्रेड़) पदों पर नियुक्ति के लिये इच्छुक पुरुष/महिला उम्मीदवारो से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

1.2 परिभाषायें :–

(क) ''आरक्षण'' से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

(ख) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमे का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनूसूचित जातियों के रुप में विनिर्दिष्टि किया गया है।

(ग) ''अनुसूचित जन जाति'' से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे सविधांन के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(घ) ''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक –एफ–8–5 पच्चीस–4–84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में ।

(च) ''मंडल'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल।

(छ) ''विभाग'' से अभिप्रेत है मध्य प्रदे ा पुलिस विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है।

(ज) ''समिति'' से अभिप्रेत है – पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित की गई चयन समिति।

(झ) ''प्रथम चरण'' से अभिप्रेत है – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा ।

(ट) ''द्वितीय चरण'' से अभिप्रेत है – पुलिस विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा ।

(ढ) ''तृतीय चरण'' से अभिप्रेत है – पुलिस विभाग द्वारा आयोजित वाहन चालन या ट्रे्ड–टेस्ट की परीक्षा ।

1.3 रिक्त पदों की तालिका :–

स. क्र.	पद नाम	रिक्त पदों का विवरण										
		अनारक्षित		अजजा		अजा		अपिव		कुल		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
क	ख	ग	घ	च	छ	ज	झ	ट	ठ	ड	ढ	त
1	आरक्षक (जी.डी.)	3162	188	807	64	1308	53	813	41	6090	346	6436
2	आरक्षक (चालक)	286	0	79	0	120	0	67	0	552	0	552
3	आरक्षक(ट्रेड) –कुक	43	1	1	0	5	0	2	0	51	1	52
4	आरक्षक(ट्रेड) – नाई	7	0	0	0	0	0	5	0	12	0	12
5	आरक्षक(ट्रेड) – धोबी	7	0	1	0	1	0	6	0	15	0	15

6	आरक्षक(ट्रेड) – मोची	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2
7	आरक्षक(ट्रेड) – वाटर कैरियर	11	0	1	0	3	0	1	0	16	0	16
8	आरक्षक(ट्रेड) – स्वीपर	11	0	1	0	7	0	2	0	21	0	21
9	आरक्षक(ट्रेड) – मेसन	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2
10	आरक्षक (ट्रेड) बिगुलर	1	0	3	0	3	0	3	0	10	0	10
11	आरक्षक (ट्रेड) टेन्ट खलासी	2	0	0	0	0	0	2	0	4	0	4
	योगः–	3530	189	894	64	1449	53	902	41	6775	347	7122

नोट–(1) म0प्र0शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 556/128/96/ब–2/दो, दिनांक 31 जनवरी 1996 के व्दारा स्वयं सेवी नगर सैनिकों को पुलिस आरक्षक की भर्ती में 15 प्रतिशत पद आरक्षित है। इस लाभ के लिये नगर सैनिक के रुप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिये ।

(2) म0प्र0शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 2(अ) 682/96/ब–4/2 दिनांक 16–5–97 व्दारा महिलाओं के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण 'हारीजोन्टल एवं कम्पार्टमेन्ट वाईज' निर्धारित किया गया है ।

(3) म0प्र0 शासन सा0प्र0विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ मंत्रालय के आसाधारण राजपत्र आदेश दिनांक 21 अप्रेल 1999 के व्दारा भूतपूर्व सैनिकों के लिये शासकीय सेवा में तृतीय श्रेणी के लिये 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है।

ये तीनों ही हारीजोन्टल आरक्षण है। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगें । ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जावेंगे यदि चयन सूची में पहले से ही 15 प्रतिशत होमगार्ड सैनिक, 10 प्रतिशत महिलायें, या 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मेरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से आरक्षण और नहीं दिया जायेगा।

यहॉ स्पष्ट करना आवश्यक है कि सामाजिक वर्ग पर आधारित आरक्षण अर्थात अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण 'वर्टिकल' स्वरुप का है। होमगार्ड सैनिकों के लिये आरक्षण ''हारीजोन्टल – ओवरआल'' स्वरुप का है जबकि महिलाओं तथा भूत पूर्व सैनिको के लिये आरक्षण ''हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज'' स्वरुप का है । इन दो आरक्षणो में अन्तर मान्. उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्द्रा साहनी विरूद्ध भारत संघ (1992 SUPP (3) SCC-217) में स्पष्ट किया गया है । हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज आरक्षण लागू करने की प्रकिया जो मान्.उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में निर्धारित की गई है (संदर्भ ''1995 (2) SUPP , SCR - 396 -1995(5) SCC- 173) का अनुसरण किया जाता है ।

(4) शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में समय समय पर जारी आदेशों के तहत पद सुरक्षित होंगे। अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये इस संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती हैं।

1.4 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :–

1.4.1 पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिये ।

1.4.2 किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण–पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

1.4.3. ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा 01 अगस्त 2013 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए।

1.4.4 स्वंयसेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नान कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूरी होना चाहिए।

1.5 पद का वेतनमान :–

स.क्रं.	पद नाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन
1.	आरक्षक	रूपये 5200 – 20200	रूपये 1900/–

आरक्षक (सवंर्ग) पद का वेतनमान रूपये 5200 –20200 एवं ग्रेड वेतन रूपये 1900/– होगा। समय समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियॉ देय होगी । म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम–4/दिनांक 13.4.2005 एवं क्रं एफ–9/डी/2003 नियम–4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई हैं।

1.6 परीक्षा केन्द्र :– परीक्षा केन्द्रों का विवरण अध्याय–2 में देखें।

1.7 निर्धारित आयु सीमा :–
अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 अगस्त 2013 को 18 वर्ष से कम एवं 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

1.8 उच्चतर आयु सीमा में सामान्य छूट :–
निम्न संवर्गो के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है

1.8.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्राप्त होगी अर्थात इस जाति वर्ग के अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 अगस्त 2013 को 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

1.8.2 वे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश शासन के स्थायी शासकीय सेवक हैं, या मध्य प्रदेश शासन में अस्थायी पद धारण करने वाले शासकीय सेवक हैं, उनकी अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष होगी।

1.8.3 मध्य प्रदेश शासन के स्थायी शासकीय सेवक, या मध्य प्रदेश शासन में अस्थायी पद धारण करने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकत आयु सीमा 36 वर्ष रहेगी । मध्यप्रदेश राज्य शासन के निगम/मण्डल के कर्मचारियों को भी आयु सीमा में छूट के प्रयोजन के लिये शासकीय सेवक माना गया है। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी/कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

1.8.4 यहॉ स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्थानीय निकायों जैसे जिला पचांयत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका आदि में कार्यरत संविदा शिक्षक, सहायक अध्यापक आदि जो स्थानीय निकाय के कर्मचारी है, उन्हें अधिकतम आयु–सीमा में छूट प्राप्त नहीं है। अधिकतम आयु–सीमा में छूट हेतु स्थानीय निकायों में कार्यरत ऐसे अनेक उम्मीदवारो की याचिकाऐं मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है :–

1. मान्.उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा खारिज की गई याचिकाएं :–
(i) रिट याचिका क्र 3629/08 द्वारा अरूण सिंह भदौरिया विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,{संदर्भ 2009(2) एम.पी.एच.टी.–277 },
(i) 19301/11पंकज कुमार रैले विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(ii) 18940/11 अमित सिंह विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(iii) 18203/11 दुष्यंत यादव विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(iv) 18563/11 रंजनीश कुमार अग्निहोत्री विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(v) 18564/11 रंजनीश सिंह, विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(vi) 18763/11 दयाल सिंह लबामा विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(vii) 19634/11 प्रदीप कुमार राजपूत विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(viii) 21397/11 कैलाश चन्द्र अवधिया एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(ix) 20139/11 मनोज राज सिंह विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(x) 20518/11 नीरज पाण्डेय एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(xi) 21025/11 अनिल मिश्रा जिला एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

2. मान्.उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा खारिज की गई याचिकाएं :–
(i) 7812 /2011 पुनीत चौहान एवं अन्य 10 विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(ii) 6645/ 2011 राजेश प्रताप सिंह बैस एवं अन्य50विरूद्ध म.प्र शासन एवं अन्य,
(iii) 8196/ 2011 पवन भदौरिया एवं अन्य 7 विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(iv) 8303/2011 निरंजन सिंह तोमर एवं अन्य 4 विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(v) 8327/2011 रविन्द्र सिंह बुंदेला एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

3. मान्.उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा खारिज की गई याचिकाऐं :–
(i) 9178/11 कु.निर्मला शर्मा इंदौर विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(ii) 9352/11 रामेन्द्र सिंह परमान विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(iii) 9447/11 विजय कुमार रावज विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(iv) 9388/11 सुधीर मोहन अग्रवाल एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(v) 9322/11 विजेन्द्र पाल सिंह एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(vi) 9203/11 कनक सिंह चौहान विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(vii) 9730/11 अभिषेक सिंह चौहान विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(viii) 9366/11 शेलेन्द्र सिंह सिसोदिया विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(ix) 9024/11 राजेन्द्र भदौरिया विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(x) 9905/11 सुनील पटेल विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(xi) 10295/11 शबाना खान विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(xii) 10237/11 ज्ञान सिंह विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(xiii) 10207/11 अशोक कुमार विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य।

1.8.5 स्वंयसेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नान कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी पूरी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूर्ण होना चाहिए। स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नान–कमीशन्ड अधिकारियों के प्रकरण में अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष होगी। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थ्यता अथवा भगोड़े होने के कारण पृथक किये गये नगर सैनिकों को इस संवर्ग के अन्तर्गत नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, अतः आयु सीमा में छूट की पात्रता का प्रश्न ही नहीं उठता।

1.8.6 छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी को उसकी आयु सीमा में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 07 वर्ष की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते की इसके परिणाम स्वरुप ऐसे अभ्यर्थी की आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं हो, अर्थात 31 वर्ष से अधिक न हो। छटनी किये गये सरकारी कर्मचारी' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो मध्य प्रदेश शासन अथवा कन्हीं भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में निरन्तर कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता के आधार पर सेवामुक्त किये गये भूतपूर्व शासकीय कर्मियों को इस सेवा में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। अतः इन्हे आयु सीमा में छूट की पात्रता भी नहीं होगी।

1.8.7 उन अभ्यर्थियों को जो भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं उसकी वर्तमान आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की पात्रता होगी, बशर्ते इसके परिणाम स्वरुप उनकी आयु अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, अर्थात 31 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिक की पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध

में सैनिक की रक्षा सेवा में नियमानुसार पेंशन प्राप्त करता हो अथवा अशक्त होने पर चिकित्सा संगठन द्वारा अशक्त पेंशन प्राप्तकर्ता को ही भूतपूर्व सैनिक माना गया है । दुराचरण अथवा अक्षमता के आधार पर सेना से निष्कासित किये गये व्यक्तियों को भूत पूर्व सैनिको के लाभ प्राप्त नहीं होंगे ।

नोट– 1. भतपूर्व सैनिक सवंर्ग में भू–सेना, क्षेत्रीय सेना या केन्द्र शासन के पुलिस या अर्द्धसैनिक बलों के भूतपूर्व कर्मी शामिल नहीं होंगे।

2. केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्यों के सेवारत अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवकों को आयु में किसी ऐसी छूट की पात्रता नहीं है, जो इन नियमों में नहीं दी गई। सी.आर.पी.एफ, बी.एस.एफ, आई.टी.बीपी. आदि केन्द्र शासन के अर्द्ध सैनिक या पुलिस बलों के सदस्यों को आयु में छूट की पात्रता नहीं है। शासकीय सेवकों को उक्त छूट की पात्रता प्राप्त करने एवं चयन से हुई नियुक्ति की पात्रता प्राप्त करने के लिये अपने वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति अवश्य ही प्राप्त करनी होगी और ऐसी लिखित अनुमति को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

1.8.8 मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी विधवा, परित्यक्तता एवं तलाकशुदा समान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी।

1.9 मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों को प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटें –

1.9 .1 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले अभ्यार्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 2 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

1.9.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतगर्त पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

1.9.3 ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त अभ्यार्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

1.9.4 बिन्दु 1.9 .1 से 1.9.3 तक प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अन्तर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिये छूट मिलेगी । बिन्दु 1.9 .1 से 1.9.3 तक प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूट, बिन्दु 1.8.1 से 1.8.8 तक मिलने वाली सामान्य छूटों के अतिरिक्त होगी ।

1.10 विवाह संबंधी/बच्चे संबंधी :–

(1) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु (पुरूष 21 एवं महिला 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) कोई उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

1.11 किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदाशय का निर्धारित प्रारुप में प्रमाण–पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा। जाति प्रमाण पत्र के नमूने इस नियम पुस्तिका के अध्याय–3 में दर्शाए गए हैं।

1.12 न्यूनतम शारीरिक अर्हता :–

अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अवश्य होनी चाहिए :–

1.12.1 उँचाई : पुरूष – 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक, अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये, उँचाई :

पुरूष – 160 सेंटीमीटर या उससे अधिक, अनुसूचित जन जाति वर्ग के लिये,

महिला – 158 सेंटीमीटर या उससे अधिक सभी जाति वर्ग के लिये,

1.12.2 सीना : पुरूष – सीना बिना फुलाये 81 सेंटीमीटर/फुलाने पर 86 सेंटीमीटर अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये,

सीना : पुरूष – सीना बिना फुलाये 76 सेंटीमीटर/फुलाने पर 81 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिये,

महिलाओं के लिये सीने की कोई माप नहीं होगी,

अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंमी का अन्तर होना आवश्यक हैं । इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।

विशेष सशस्त्र बल के सभी पदों के लिये वि.स.बल नियम, 1973 के नियम 21 एवं 22 के प्रावधान लागू रहेंगे ।

1.12.3 अभ्यर्थी को शारीरिक रुप से अपंग नहीं होना चाहिये।

1.12.4 अभ्यर्थी में 'नॉक–नी' अथवा 'फ्लेट फुट' एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिये । अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि से पूर्णतः योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक हैं।

नोट– (1) यहां यह स्पष्ट किया जाता हैं कि जो उम्मीदवार उपरोक्त ऊंचाई एवं सीने की माप पूरी करते हैं स्वंय सुनिश्चित करने के बाद आवेदन करें ।

(2) चयन प्रकिया के दौरान पुलिस विभाग द्वारा उम्मीदवारों के ऊंचाई एवं सीने की माप नहीं ली जावेगी ।

(3) चयन प्रकिया के उपरान्त चयनित उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जावेगा । जो उम्मीदवार पुलिस सेवा के लिये स्वास्थ्य के निर्धारित मापदण्डों में अपूर्ण अथवा कम पाये जावेंगे उन्हें नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उनका नाम चयन सूची से पृथक कर दिया जावेगा ।

(4) न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। शारीरिक अर्हताओं में किसी भी स्तर पर छूट नहीं दी जावेगी ।

(5) प्रकिया के अन्त में निराशा से बचने के लिये अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने के पूर्व अपनी न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं के बारे में सिविल सर्जन से नाप जोख की पुष्टि कर लें। न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं को पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें। जो उम्मीदवार पुलिस सेवा के लिये स्वास्थ्य के निर्धारित मापदण्डों में अपूर्ण अथवा कम पाये जावेंगे उन्हें नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उनका नाम चयन सूची से पृथक कर दिया जावेगा ।

1.13 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं :–

क	पदनाम	अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षणिक अर्हताऐं	अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हताऐं
1	आरक्षक (जी. डी.)	10 धन 2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
2	आरक्षक (विशेष शाखा)	10 धन 2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा	8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

		उत्तीर्ण	
3	आरक्षक (अ.अ.वि.)	10 धन 2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
4	आरक्षक (चालक)	10 धन 2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण । इसके अतिरिक्त मध्यम वाहन का ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक हैं ।	8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण । इसके अतिरिक्त मध्यम वाहन का ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक हैं ।
5	आरक्षक (ट्रेड) : कुक, नाई, धोबी, मोची, वाटर कैरियर, स्वीपर, मेसन, बिगुलर, टेन्ट खलासी	10 धन 2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण । इसके अतिरिक्त व्यावसायिक ज्ञान का अनुभव होना आवश्यक हैं ।	8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण । इसके अतिरिक्त व्यावसायिक ज्ञान का अनुभव होना आवश्यक हैं ।

नोट– आरक्षक (चालक) के पद के लिये शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ मध्यम वाहन का ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक हैं । यहां स्पष्ट किया जाता है कि मध्यम वाहन से बड़े अर्थात भारी वाहन का ड्रायविंग लायसेंस धारी व्यक्ति पात्र है । लेकिन मध्यम वाहन से छोटे अर्थात हलके वाहन का ड्रायविंग लायसेंस धारी व्यक्ति पात्र नहीं है ।

1.13.1 शैक्षणिक योग्यता में छूट :–

शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जावेगी, किन्तु अपवादित मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिये पात्र समझती हो। समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा चयन में सम्मिलित कर सकेगी जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विद्यालय से उपाधियाँ प्राप्त की हों जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रुप से मान्यता प्राप्त न हो।

1.13.2 निर्धारित समस्त अर्हताएं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक उम्मीदवार को अवश्य होनी चाहिये, अर्थात यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठा है और उसके पास 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं है।

1.14 आवेदन करने हेतु पात्रता मध्य प्रदेश पुलिस में विभाग की कार्यप्रणाली, कार्य की प्रकृति तथा आवश्यकता के आधार पर आरक्षकों को निम्नलिखित ग्यारह समूहों में विभाजित किया गया हैं । उम्मीदवारों की बढ़ती हुई विशाल संख्या के कारण शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के आयोजन एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लगने वाले समय को देखते हुये जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालाओं, विशेष शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग तथा विशेष सशस्त्र बल में आरक्षकों की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी रखते हुये सुगम बनाने के उददेश्य से एक ही लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी । पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं के विभिन्न पदों के ग्यारह समूह नीचे तालिका के कालम 4 में दर्शाये गये हैं । दक्षता एवं कार्य कुशलता बनाये रखने के लिये एक उम्मीदवार को चयन परीक्षा में ग्यारह समूहों में से किसी भी एक समूह के पदों हेतु आवेदन करने की पात्रता होगी –

कमांक	पदनाम	पदस्थापना की शाखाएं	चयन परीक्षा में आवेदन करने हेतु समूह
1	2	3	4

1	आरक्षक (जी.डी.) जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, ज.ने. पुलिस अकादमी सागर पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	समूह – A
2	आरक्षक (जी.डी.) विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इन्दौर	समूह – A
3	आरक्षक (विशेष शाखा)	विशेष शाखा हाक फोर्स	समूह – A
4	आरक्षक (अ.अ.वि.)	अपराध अनुसंधन विभाग, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, फोटोग्रफी विंग, क्यू.डी. विंग,	समूह – A
5	आरक्षक(चालक) जिला पुलिस बल	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, ज.ने. पुलिस अकादमी सागर पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	समूह – B
6	आरक्षक(चालक) विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इन्दौर	समूह – B
7	आरक्षक (चालक) विशेष शाखा	विशेष शाखा, हाक फोर्स	समूह – B
8	आरक्षक(ट्रेड) –कुक, जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, ज.ने. पुलिस अकादमी सागर, पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	समूह – C
9	आरक्षक(ट्रेड) –कुक, विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इन्दौर	समूह – C
10	आरक्षक(ट्रेड) –कुक, विशेष शाखा	विशेष शाखा, हाक फोर्स	समूह – C
11	आरक्षक(ट्रेड) – नाई, जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, ज.ने. पुलिस अकादमी सागर, पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	समूह – D
12	आरक्षक(ट्रेड) – नाई, विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इन्दौर	समूह – D
13	आरक्षक(ट्रेड) – नाई, विशेष शाखा	विशेष शाखा, हाक फोर्स	समूह – D
14	आरक्षक(ट्रेड) – धोबी, जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, ज.ने. पुलिस अकादमी सागर, पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	समूह – E
15	आरक्षक(ट्रेड) – धोबी, विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इन्दौर	समूह – E
16	आरक्षक(ट्रेड) – धोबी, विशेष शाखा	विशेष शाखा, हाक फोर्स	समूह – E

17	आरक्षक(ट्रेड) – मोची, जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, ज.ने. पुलिस अकादमी सागर, पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	समूह – F
18	आरक्षक(ट्रेड) – मोची, विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इन्दौर	समूह – F
19	आरक्षक(ट्रेड) – मोची, विशेष शाखा	विशेष शाखा, हाक फोर्स	समूह – F
20	आरक्षक(ट्रेड) – वाटर कैरियर, जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, ज.ने. पुलिस अकादमी सागर, पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	समूह – G
21	आरक्षक(ट्रेड) – वाटर कैरियर, विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इन्दौर	समूह – G
22	आरक्षक(ट्रेड) – वाटर कैरियर, विशेष शाखा	विशेष शाखा, हाक फोर्स	समूह – G
23	आरक्षक(ट्रेड) – स्वीपर जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, ज.ने. पुलिस अकादमी सागर, पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	समूह – H
24	आरक्षक(ट्रेड) – स्वीपर विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इन्दौर	समूह – H
25	आरक्षक(ट्रेड) – स्वीपर विशेष शाखा	विशेष शाखा, हाक फोर्स	समूह – H
26	आरक्षक(ट्रेड) – मेसन, जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, ज.ने. पुलिस अकादमी सागर, पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	समूह – J
27	आरक्षक(ट्रेड) – मेसन, विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इन्दौर	समूह – J
28	आरक्षक(ट्रेड) – मेसन, विशेष शाखा	विशेष शाखा, हाक फोर्स	समूह – J
29	आरक्षक(ट्रेड) – बिगुलर जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, ज.ने. पुलिस अकादमी सागर, पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	समूह – K
30	आरक्षक(ट्रेड) – बिगुलर विशेष सशस्त्र बल	विशेष शाखा, हाक फोर्स	समूह – K
31	आरक्षक(ट्रेड) – बिगुलर विशेष शाखा	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इन्दौर	समूह – K
32	आरक्षक(ट्रेड) – टेन्ट खलासी जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, ज.ने. पुलिस अकादमी सागर, पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	समूह – L

33	आरक्षक(ट्रेड) – टेन्ट खलासी विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इन्दौर	समूह – L
34	आरक्षक(ट्रेड) – टेन्ट खलासी विशेष शाखा	विशेष शाखा, हाक फोर्स	समूह – L

1.15 परीक्षा की योजना :–

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसके साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाने होंगे। ऑनलाईन आवेदन–पत्रों की स्क्रुटनी संबंधी आवश्यक निर्देश अध्याय–2 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होंगे।

आरक्षकों की चयन परीक्षा को निम्न लिखित तीन चरणो में संपन्न कराया जावेगा :–

1. प्रथम चरण : लिखित परीक्षा – सभी उम्मीदवारों के लिये,
2. द्वितीय चरण : शारीरिक प्रवीणता परीक्षा – प्रथम चरण में पात्र उम्मीदवारों के लिये,
3. तृतीय चरण : ट्रेड टेस्ट – केवल आरक्षक (चालक) तथा आरक्षक (ट्रेड) के लिये प्रथम एवं द्वितीय चरण के उपरान्त पात्र उम्मीदवारों के लिये।

इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारो द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मंडल को आवेदन पत्र एम.पी. ऑन–लाईन (M.P On-line) के माध्यम से भरे जाते है । किसी भी उम्मीदवार को एक आवेदन जमा करने की पात्रता है । यदि कोई उम्मीदवार एक आवेदन जमा करने बाद केन्द्र के परिवर्तन आदि के लिये दूसरा आवेदन जमा करना चाहता है तो उसे अपना पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त करना होगा, उसके बाद ही नया आवेदन स्वीकार किया जावेगा ।

आवेदन– पत्र भरते समय उम्मीदवारो के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण व्यापम अथवा अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है, अतः लिखित परीक्षा में उम्मीदवारो का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम प्रावधिक (Provisional) होगा । लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है । लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिये बुलाये गये उम्मीदवारो के समस्त मूल प्रमाण पत्रो का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में सफल होने पर उम्मीदवारो को शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में भाग लेने की पात्रता प्राप्त होगी जिसमें एक ईवेन्ट – 800 मीटर दौड़ का होगा ।

यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो उसे अगले चरण में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी, तथा उसकी अभ्यर्थिता समाप्त करते हुए उसके विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जाएगी भले ही वह लिखित परीक्षा में सफल रहा हो । यदि उम्मीदवार उपरोक्त मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में योग्य पाया जाता है तथा शारीरिक प्रवीणता परीक्षा अथवा ट्रेड टेस्ट में क्वालीफाई कर सफल होता है, तभी उसे उसके पद की मेरिट में आने की पात्रता होगी ।

1.15.1 प्रथम चरण – लिखित परीक्षा :–

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों में विषय (अध्याय–3 अनुसार) अवधि एवं अधिकतम अंक हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में निम्नानुसार होंगे :–

कमांक	प्रश्न पत्र	अवधि	अधिकतक अंक
1	लिखित परीक्षा	02 घंटे	100

नोटः–

(क)– लिखित परीक्षा हाल में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा जिनके पास मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश–पत्र होगा। फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः– आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/डाइविंग लाइसेस/आयकर विभाग का पेनकार्ड/पासपोर्ट/बैंक पासबुक/शासकीय संस्था द्वारा जारी किया हुआ फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा।

(ख) आवेदक को लिखित परीक्षा के लिये मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश–पत्र तथा काला बॉल प्वाइंट पेन अपने साथ लाना होगा।

(ग) परीक्षा में किसी प्रकार के केलकुलेटर, मोबाईल आदि के उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(घ) लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुये अथवा नकल सामग्री के साथ पकड़ा जावेगा उसे तीन वर्षों के लिये आरक्षक चयन की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा तथा अन्य उचित वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

1.15.2 अगले चरण की परीक्षा हेतु लिखित परीक्षा की मेरिट सूची :–

(1) एक उम्मीदवार को ग्यारह समूहों में से एक समूह के पदों के लिये आवेदन करने की पात्रता होगी । लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर उम्मीदवारों को प्रत्येक समूह के लिये जाति वर्ग के अनुसार रिक्तियों के 5 गुनी संख्या में बुलाया जावेगा ।

(2) प्रावीण्य सूची लिखित परीक्षा कुल पूर्णाक 100 (लिखित परीक्षा–100) के आधार पर उनकी प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी । सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनु0जा0/ अनु0ज0जा0 / अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे उम्मीदवार भी शामिल होगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित पदों के लिये सभी अन्य अर्हतायें भी पूरी करते है । शेष उम्मीदवार में से अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों की उनके अपने अपने जाति वर्ग के लिये विज्ञापित आरक्षित पदों के 5 गुने के लिये पृथक–पृथक सूचियॉ बनाई जायेगी।

(3) यह सूचियां बनाने के बाद स्वयं सेवी होमगार्ड नगर सैनिकों के लिये ''ओवरआल हॅारीजेटंल आरक्षण'' एवं भ0ू पू0 सैनिकों के लिये ''कम्पार्टमेण्टवाइज हॅारीजेटंल आरक्षण'' को प्रभावी किया जावेगा । हारीजोन्टल ओवरआल अथवा कम्पाटमेंट वाईज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जो मान्. उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता विरूद्व उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में निर्धारित की गई है (संदर्भ ''1995 (2) SUPP , SCR - 396 -1995(5) SCC- 173) का अनुसरण किया जाता है।

(4) स्वयं सेवी होमगार्ड नगर सैनिकों के लिये 15 % ''ओवरआल हॅारीजेन्टल आरक्षण'' लागू है। शासन के आदेशानुसार स्वयं सेवी नगर सैनिकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा से छूट है । अतः होमगार्ड सैनिकों की मेरिट को उनकी होमगार्ड सैनिक के रुप में सेवाकाल की अवधि के क्रम में निर्धारित करते हुये उनके लिये आरक्षित पदों के पांच गुना होमगार्ड सैनिक उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीणता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा । यदि कई होमगार्ड सैनिकों का सेवाकाल बराबर पाया जाता है तो अधिक आयु वाला होमगार्ड सैनिक उम्मीदवार, कम आयु वाले वाले होमगार्ड सैनिक से मेरिट क्रम में उपर होगा ।

(5) भू0पू0 सैनिकों का 10 प्रतिशत हॅारीजेन्टल आरक्षण है, किन्तु भू0पू0 सैनिकों का आरक्षण कम्पार्टमेंट वाइज हो जाने से इनकी मैरिट सूची जाति वर्गबार बनाई जावेगी तथा 10 प्रतिशत की 5 गुनी संख्या की गणना भी जाति वर्ग वार ही होगी ।

(6) स्वयं सेवी होमगार्ड नगर सैनिकों एंव भ0ू पू0सैनिकों के आरक्षण में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नही होने से कोई भी पद 'केरीफारवर्ड' नही होगें, बल्कि उस जाति वर्ग की शेष संख्या को उसी जाति वर्ग के गैर आरक्षित उम्मीदवारों (जो स्वयं सेवी होमगार्ड नगर सैनिक अथवा भ0ू पू0सैनिक नहीं हैं) से पूरा किया जावेगा ।

(7) महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित पदों की 5 गुना संख्या की सूचियां जाति वर्ग अनुसार पृथक बनाई जावेगी। महिलाओं का आरक्षण ''कम्पार्टमेंटवाइज हॅारीजेंटल'' आरक्षण हैं तथा योग्य महिलाए उपलब्ध न होने से पद ''केरी फारवर्ड '' नही किये जाते हैं। अतः जिस जाति वर्ग की योग्य महिला उम्मीदवार उपलब्ध नही होगी, उस जाति वर्ग की शेष संख्या को उसी जाति वर्ग के पुरूष उम्मीदवार से पूरा किया जावेगा ।

(8) म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर जाति वर्ग अनुसार रिक्त पदों के 5 गुना संख्या में रोल नम्बर के क्रम में पुलिस मुख्यालय के माध्यम से चयन समितियों को उपलब्ध कराई जावेगी । जाति वर्ग अनुसार 5 गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जावेगा, भले ही कुल संख्या 5 गुना से अधिक हो जावे।

(9) लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता आयु के आधार निर्धारित की जावेगी। अर्थात समान अंक प्राप्त करने वाले जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी वह मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से उपर रहेगा ।

(10) प्रथम चरण में आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट पर पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा उपरान्त उपलब्ध रहेगा तथा इसके साथ ही द्वितीय/तृतीय चरण की तिथियों एवं केन्द्रों की जानकारी भी परिणाम के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी । उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा का परिणाम मण्डल की वेबसाईट से स्वयं डाऊनलोड़ करना होगा एवं उम्मीदवारों को इस संबंध में पृथक से सूचित नहीं किया जाएगा । मण्डल की वेबसाईट से डाऊनलोड़ किये गये परिणाम प्रिंट को प्रस्तुत करने के उपरान्त ही द्वितीय/तृतीय चरण के लिये निर्धारित केन्द्र पर प्रवेश दिया जाएगा ।

1.16 द्वितीय एवं तृतीय चरण – प्रमाण पत्रों की जांच, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट तथा ट्रेड टेस्ट :–

द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रमाण पत्रों की जांच, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट तथा ट्रेड टेस्ट की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित चयन समितियों द्वारा प्रदेश में 4 केन्द्रों – भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में सम्पन्न की जावेगी ।

1.16.1 प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित समितियों के सीधे पर्यवक्षेण में की जावेगी। यह कार्यवाही प्रदेश में 4 केन्द्रों – भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में सम्पन्न की जावेगी ।

आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं करेंगे, परन्तु चयन समिति के समक्ष दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/ दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) प्रस्तुत करना होगा :–

(1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हों,

(2) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र,

(3) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से 90(नब्बे) दिन पूर्व प्रदेश के किसी रोजेगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का प्रमाण पत्र,

(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारुप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण–पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस नियमावली के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं,

(5) स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नान–कमीशन्ड अधिकारियों अभ्यर्थियों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये नगर सेना की तीन वर्ष की सेवा काल का प्रमाणपत्र,

(6) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 'सेना' की सेवा का प्रमाण पत्र,

(7) पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र,

(8) परित्यक्ता महिला के लिये लागू उच्चतम आयु सीमा की छूट प्राप्त करने हेतु महिला उम्मीदवारों को परित्यक्ता होने के प्रमाण के रुप में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के स्तर का नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विवाह के बाद महिला उम्मीदवार को उसके पति ने विधिवत तलाक दिये बिना छोड़ दिया है तथा उक्त पति से महिला उम्मीदवार को कोई गुजारा भत्ता नहीं प्राप्त होता है,

(9) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये ग्रीन कार्ड,

(10) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतगर्त पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति / पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,

(11) ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त अभ्यार्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छूट ''विक्रम पुरस्कार'' हेतु पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,

(12) विवाहित अभ्यर्थियों को उनके विवाह की तिथि दर्शाने वाला विवाह–पंजीकरण प्रमाण पत्र,

(13) विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र,

(14) नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये,

(15) आरक्षक (चालक) के पद हेतु मध्यम वाहन का ड्रायविंग लाइसेन्स अथवा उससे बड़े वाहन का ड्रायविंग लाइसेन्स,

नोटः— 1. दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोप्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जायेगा। अध्याय—3 में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

2. यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो उसे अगले चरण में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी, तथा उसकी अभ्यर्थिता समाप्त करते हुए उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी भले ही वह लिखित परीक्षा में सफल रहा हो । यदि उम्मीदवार उपरोक्त मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में योग्य पाया जाता है तथा शारीरिक प्रवीणता परीक्षा अथवा ट्रेड टेस्ट में क्वालीफाई कर सफल होता है, तभी उसे उसके पद की मेरिट में आने की पात्रता होगी ।

1.16.2 शारीरिक प्रवीणता टेस्ट :

शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में केवल एक ईवेन्ट 800 मीटर दौड का रहेगा । शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिये कोई अंक नही दिये जायेगें यह केवल क्वालीफाईग होगी । इस 800 मीटर दौड में क्वालीफाई करने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित हैं :—

	उम्मीदवार	800 मीटर दौड़ क्वालीफाई करने हेतु निर्धरित अधिकतम समय सीमा
1	आरक्षक पुरूष	02 मिनट 45 सेकण्ड
2	आरक्षक (चालक) एवं आरक्षक (ट्रेडमेन) समस्त संवर्ग : पुरूष उम्मीदवार	03 मिनट 00 सेकण्ड
3	महिला उम्मीदवार : आरक्षक समस्त संवर्गों के लिए	04 मिनट 00 सेकण्ड
4	होमगार्ड पुरुष : आरक्षक (जी.डी.) , आरक्षक (चालक), आरक्षक (ट्रेड मेन) समस्त संवर्ग	03 मिनट 15 सेकण्ड
5	होमगार्ड महिला : आरक्षक पद के समस्त संवर्गों के लिए	04 मिनट 00 सेकण्ड
6	भूतपूर्व सैनिकों के लिये	03 मिनट 15 सेकण्ड

नोटः— शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी । उक्त के लिये किसी प्रकार का चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। उम्मीदवारो को उनकी शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा के लिये चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है, उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

1.16.3 ट्रेड टेस्ट/वाहन चालन का टेस्ट :—

आरक्षक ट्रेडमेन/चालक के लिये ट्रेड टेस्ट/वालन चालन का टेस्ट क्वालीफाईग स्वरुप का होगा । ट्रेड टेस्ट/वाहन चालन की वीडीयोग्राफी कराई जायेगी।

1.17 परीक्षा परिणाम की घोषणा —

1.17.1 चयन सूचीः (लिखित परीक्षा—कुल पूर्णाक 100) लिखित परीक्षा के प्राप्तांको तथा शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा/ट्रेड़ टेस्ट में सफल हुये उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी । सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनु0जा0/ अनु0ज0जा0 / अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे उम्मीदवार भी शामिल होगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित पदों के लिये सभी अन्य अर्हतायें भी पूरी करते है । शेष उम्मीदवार में से अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों की उनके अपने अपने जाति वर्ग के लिये विज्ञापित आरक्षित पदों के लिये पृथक—पृथक सूचियॉ बनाई जायेगी।

1.17.2 यह सूचियां बनाने के बाद होमगार्ड के लिये ''ओवरऑल हॉरीजण्टेल आरक्षण'' एवं भ0ू पू0 सैनिकों के लिये ''कम्पार्टमेण्टवाइज हॉरीजेटंल आरक्षण'' को प्रभावी किया जाता है । हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जो मान.उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता विरूद्ध उत्तर

प्रदेश राज्य के प्रकरण में निर्धारित की गई है (संदर्भ ''1995 (2) SUPP , SCR - 396 -1995(5) SCC-173) का अनुसरण किया जाता है ।

स्वयं सेवी नगर सैनिकों के लिये 15 % ''ओवरऑल हॅारीजेण्टल आरक्षण'' लागू है । शासन के आदेशानुसार स्वयं सेवी नगर सैनिकों के चयन लिए लिखित परीक्षा से छूट है । अतः होमगार्ड सैनिकों की मेरिट को उनकी होमगार्ड सैनिक के रुप में सेवाकाल की अवधि के क्रम में निर्धारित करते हुये बनाई जावेगी। यदि कई होमगार्ड सैनिकों सेवाकाल बराबर पाया जाता है तो अधिक आयु वाला होमगार्ड सैनिक उम्मीदवार, कम आयु वाले वाले होमगार्ड सैनिक से मेरिट क्रम में उपर होगा ।

भू0पू0 सैनिकों का 10 प्रतिशत हॉरीजेण्टल आरक्षण है, किन्तु भू0पू0 सैनिकों का आरक्षण कम्पार्टमेंटवाइज हो जाने से इनकी मैरिट सूची जाति वर्गबार बनाई जावेगी और 10 प्रतिशत की संख्या की गणना भी जाति वर्ग वार ही होगी ।

प्रतिस्थापना की कार्यवाही भी केवल उसी वर्ग में होगी, जिसमें 10 प्रतिशत की संख्या पूरी नहीं होती है। होमगार्ड एंव भ0ू पू0सैनिकों के आरक्षण में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नही होने से कोई भी पद 'केरीफारवर्ड' नही होगें, बल्कि एसे पद उसी जाति वर्ग के अन्य उपलब्ध उम्मीदवारों से भरे जावेगें ।

1.17.3 महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित पदों के अनुसार पृथक सूचियां बनाई जावेगी। महिलाओं का आरक्षण ''कम्पार्टमेंटवाइज हॉरीजेंटल आरक्षण हैं'' और योग्य महिलाए उपलब्ध नहीं होने से पद ''केरी फारवर्ड '' नही किये जाने हैं । अतः जिस जाति वर्ग की योग्य महिला उम्मीदवार उपलब्ध नही होगी उस पद को उसी जाति वर्ग के पुरूष उम्मीदवार से भरा जावेगा।

1.17.4 लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता आयु के आधार निर्धारित की जावेगी, अर्थात समान अंक प्राप्त करने वाले जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी वह मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से उपर रहेगा ।

1.17.5 म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा चयनित उम्मीदवारों की तैयार की गई सूची को मण्डल की वेब साइट पर उपलब्ध कराया जावेगा । मण्डल द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा में उक्त सूची में चयनित उम्मीदवारों से ईकाई में पदस्थापना की प्राथमिकता क्रम का विकल्प, एम.पी.आन–लाइन के पोर्टल के माध्यम से लिया जावेगा । चयनित उम्मीदवारों को एम.पी.आन–लाइन का शुल्क जमा करना होगा ।

1.18 ईकाई में पदस्थापना दर्शाने वाली अंतिम चयन सूची :–

1.18.1 म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा चयनित उम्मीदवारों को उनके मेरिट क्रम में उनके दर्शाई गयी ईकाईयों के प्राथमिकता क्रम में उपलब्ध रिक्त स्थान पर नियुक्ति प्रस्तावित करते हुये चयन सूची तैयार की जावेगी । यह चयन सूची पुलिस जोन वार एवं जिलावार बनाई जावेगी । किसी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय पुलिस मुख्यालय का होगा ।

1.18.2 चयन समिति द्वारा सूची के अनुमोदन उपरान्त म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा चयनित उम्मीदवारों का नाम एवं परिणाम उनकी वेब साइट पर उपलब्ध कराया जावेगा । चयन सूची की एक प्रति तत्काल पुलिस मुख्यालय भिजवाई जावेगी तथा संबंधित जोन एवं इकाई के नोटिस बोर्ड पर भी अबिलंब चस्पा की जावेगी ।

1.18.3 चयन समितियों को यह अधिकार होगा यदि किसी इकाई के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सफल उम्मीदवारों के विकल्प नही प्राप्त होते है, तो सफल उम्मीदवारों की सूची से किसी विशिष्ट इकाई का विकल्प नही देने वाले उम्मीदवारों की पदस्थापना कर सकेगी।

1.19 यात्रा किराया :–

मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को द्वितीय/तृतीय चरण में सम्मिलित होने पर यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति पुलिस विभाग द्वारा दी जायेगी।

1.20 चरित्र सत्यापन :–

नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व शासन आदेशानुसार प्रत्येक उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कराया जावेगा । उम्मीदवारों को चरित्र सत्यापन फार्म में पूरी एवं सही सही जानकारी भरना चाहिये, कोई झूठी जानकारी, अधूरी जानकारी, अर्धसत्य जानकारी नहीं देना चाहिये। कोई जानकारी छिपाना भी नहीं चाहिये। विशेष कर चरित्र सत्यापन फार्म के कालम नम्बर 12 में सही सही जानकारी भरना आवश्यक है। अब मध्यप्रदेश शासन के चरित्र सत्यापन संबंधी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन के संबंध में इस आशय का शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसमें आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उनके द्वारा उसके पूर्ववत के अन्तर्गत दिए गए विवरणों में उसने किसी तथ्य को जानबूझकर जानते हुये नहीं छिपाया

है। यदि कोई उम्मीदवार चरित्र सत्यापन फार्म में कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह सेवा के अयोग्य ठहराया जावेगा और उसे नियुक्ति नहीं दी जावेगी ।

यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद उजागर होता है तो उसे बिना कोई अन्य नोटिस दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा । चरित्र सत्यापन विपरीत होने पर नियुक्ति अथवा सेवा में बने रहने की पात्रता नहीं होगी । ऐसे चयनित व्यक्तियों का नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

1.21 स्वास्थ्य परीक्षण :–

उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेंडिकल बोर्ड से कराया जावेगा जिसमें उसे पुलिस सेवा के लिये निर्धारित मापदण्डों पर पूर्ण रूप से फिट होना अनिवार्य होगा । जिला मेंडिकल बोर्ड से उम्मीदवार को शासकीय सेवा हेतु अनफिट घोषित किये जाने पर उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा ।

1.22 चयन सूची से नियुक्ति –

सीधी भर्ती के लिये उपरोक्त बिन्दु 1.17 के अन्तर्गत बनाई गई चयन सूची से ही नियुक्ति की जावेगी । नियुक्ति आदेश चयन सूची में वरिष्ठता के क्रम में जारी किये जावेगे । नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत रिमार्क न होने और स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निर्धारित मापदण्ड के आधार पर पूर्ण रूप से फिट होने पर ही उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी कर पुलिस लाईन अथवा सम्बन्धित कार्यालय में आमद देने का आदेश दिया जावेगा ।

1.22.1 नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जावेगा।

1.22.2 जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी।

1.22.3 निर्धारित प्रशिक्षण से स्थायी या अस्थायी छूट का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण पर निर्धारित समय में उपस्थित न होने वाले चयनित उम्मीदवारों का नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा/नियुक्ति प्रस्ताव वापस ले लिया जावेगा। इस संबंध में मेडिकल प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

1.22.4 प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शारीरिक तथा बौद्धिक प्रशिक्षण, अस्त्र–शस्त्र संचालन आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें किसी वजह से कोई क्षति होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिये एक अवसर प्रदान किया जावेगा।

1.22.5 जो उम्मीदवार जिस ईकाई में नियुक्त किया जावेगा वहां उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य ईकाई में स्थानान्तरण का पात्र हो सकेगा।

1.22.6 चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के वाद पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं व मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के अन्तर्गत राज्य के अन्दर व राज्य के बाहर पदस्थ किया जा सकेगा। राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों जैसे राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू), लोकायुक्त, अथवा ऐसी अन्य संस्थाओं में की जाने वाली पदस्थापना में उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है।

1.23 सामान्य निर्देश :– उपरोक्त नियमों के सम्बन्ध में किसी संशय अथवा विवाद की स्थिति में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी स्थायी राजपत्र आदेश (G.O.P.) क्रमांक 137/2012 दिनांक 30/07/2012 में अंकित प्रावधान अंतिम रुप से मान्य होंगे। यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन– पत्र भरते समय उम्मीदवारो के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण व्यापम अथवा अन्य किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है, अतः लिखित परीक्षा में उम्मीदवारो का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम

प्रावधिक (Provisional) होगा। लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है । लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद उम्मीदवार को उसके मूल प्रमाण पत्रों की जांच में, शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में, जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा किये जाने वाले स्वास्थ परीक्षण में तथा चरित्र सत्यापन में सफल एवं योग्य होना आवश्यक है । उम्मीदवारो को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानो, शारीरिक नापजोख, लिखित परीक्षा, शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा, साक्षात्कार, चरित्र सत्यापन तथा चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूणतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

पुलिस महानिरीक्षक (चयन/भर्ती)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

अध्याय – 2
मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

महत्वपूर्ण निर्देश :–

2.1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें विभिन्न पदों के ग्यारह समूह रहेंगे, जिसमें से आवेदक को अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए किसी एक समूह के लिये आवेदन करने की पात्रता होगी। आवेदक द्वारा भरे गये एक समूह के विकल्प के अनुसार ही परीक्षा एवं परिणाम संबंधी कार्यवाही की जायेगी। आवेदक को विभिन्न श्रेणी के एवं विभिन्न स्थानों के पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

पदनाम

- आरक्षक (जी0डी0)
- आरक्षक (विशेष शाखा)
- आरक्षक (अ.अ.वि.)
- आरक्षक (चालक)
- आरक्षक (ट्रेड): कुक / नाई / धोबी / मोची / वाटर कैरियर / स्वीपर / मेसन / बिगुलर / टेन्ट खलासी

2.2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग / संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा, अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख / संबंधित विभाग / म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा में प्रवेश / चयन / नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।

2.3 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र / दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है, किन्तु नियुक्ति के पूर्व समस्त प्रमाण–पत्रों / दस्तावेजों का सत्यापन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि / कमी दृष्टिगोचर होने पर अभ्यर्थिता निरस्त समझी जायेगी।

2.4 आवेदक द्वारा एक बार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के उपरांत यदि वह दूसरी बार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरता है तो उसके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि व फोटो एक समान होने पर आवेदक द्वारा पूर्व में भरे गए आवेदन पत्र का क्रमांक प्रदर्शित होगा, और यह जानकारी ली जायेगी कि क्या आवेदक पूर्व में भरे गए आवेदन को निरस्त करना चाहता हैं ? यदि आवेदक निरस्त करने में सहमत नहीं है, तो उसके द्वारा भरा जा रहा द्वितीय आवेदन नही भरा जा सकेगा तथा पहले भरा हुआ आवेदन ही मान्य होगा। दूसरी तरफ सहमत होने पर पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त कर वर्तमान आवेदन को मान्य करते हुए स्वीकार किया जाएगा। इस स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन के साथ आवेदक द्वारा भुगतान शुल्क राजसात किया जावेगा।

2.5 स्क्रूटनी / ऑनलाईन आवेदन–पत्र का निरस्तीकरण :–

आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर की स्क्रूटनी की जायेगी। जिन आवेदको द्वारा नियम पुस्तिका में उल्लेखित फोटो एंव हस्ताक्षर के निर्धारित मापदंड के अनुरूप फोटो / हस्ताक्षर उपलब्ध नही करवाये जाते है, फोटो अनुपलब्ध है, हस्ताक्षर अनुपलब्ध है, ऐसे प्रकरणों को स्क्रूटनी उपरांत निरस्त किया जायेगा तथा ऐसे आवेदकों को टेस्ट एडमिट कार्ड जारी नही किये जायेगे। आवेदन पत्र निरस्त की सूचना मण्डल की बेवसाईट पर उपलब्ध होगी। एक बार आवेदन पत्र निरस्त होने के उपरांत किसी भी स्थिति में मान्य नही किया जावेगा।

2.6 आवदेन पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर से संबंधित निर्देशः–

(i) आवदेन पत्र के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साईज 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. का होना चाहिये, जिसकी गुणवत्ता अच्छी एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iii) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला फोटोग्राफ परीक्षा की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।

(iv) काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा।

(v) जो फोटोग्राफ ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा, वही फोटोग्राफ काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाना होगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ आवेदक को अपने पास सुरक्षित रखना होगा।

(vi) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे किये जाने चाहिए।

(vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ लघु हस्ताक्षर नही किये जाने चाहिए।

(viii) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय किये जाने होगें, इसका विशेष ध्यान रखा जाना होगा।

(ix) अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर नही किये जाने चाहिए।

(x) ऑनलाईन आवेदन पत्र में एक से अधिक हस्ताक्षर नही होना चाहिए।

(xi) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर स्केनिंग उपरांत पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए।

2.7 ऑनलाईन आवेदन पत्र की जानकारी में संशोधनः–

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः–

2.7.1 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि के अगले दिन से 10 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन–पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

2.7.2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रू.100/–एवं पोर्टल शुल्क रू. 50/– का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

2.7.3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को अन्य प्रविष्टियों सहित फोटो, हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा एप्लीकेशन फार्म नंबर, ट्रांजेशन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। एप्लीकेशन फार्म नंबर, ट्रांजेशन आई.डी. नंबर, व्यापम फार्म नंबर, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

2.7.4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नही किया जायेगा।

2.8 परीक्षा प्रवेश–पत्र (Test Admit Card) :-

मण्डल द्वारा नियमानुसार मान्य आवेदन–पत्र के अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रवेश–पत्र {Test Admit Card (TAC)} मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किए जायेंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

प्रवेश–पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :– अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवेश–पत्र उक्त वेबसाईट से डाउनलोड कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। डाउनलोड किए हुए प्रवेश–पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट– प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाइन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.9 परीक्षा शहर :–

प्रथम चरण के अन्तर्गत आयोजित लिखित परीक्षा भिण्ड एवं मुरैना जिला मुख्यालयों को छोडकर मध्यप्रदेश के शेष 48 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जायेगी । विशेष परिस्थितियों में म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल इसे संभागीय मुख्यालयों तक सीमित करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है ।

2.10 परीक्षा शुल्क :–

उक्त परीक्षा में परीक्षा शुल्क अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए रू. 500/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के लिये रु. 250/– निर्धारित है। ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 50/– अतिरिक्त देय होगा।

2.11 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :–

प्रवेश–पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन, फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः– आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/डाइविंग लाइसेस/आयकर विभाग का पेनकार्ड/पासपोर्ट/बैंक पासबुक/शासकीय संस्था द्वारा जारी किया हुआ फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा।

2.12 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात Scientific Calculator,Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.13 लिखित परीक्षा का विवरण :–

क्रं.	विषय	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	आरक्षक पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा (अध्याय–3 अनुसार)	31.03.2013	रविवार	02 घंटे	11:00 AM to 01:15 PM	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

2.14 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :– निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :–

(क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

(ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
(ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
(घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
(ड.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
(च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।
(छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
(ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
(झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
(ञ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
(ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना। उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा।

पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा । विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

2.15 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.16 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :–

विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
4. कोई भी विकल्प सही न हो।
5. यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200 - 2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :– सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2.17 प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन :–
प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप–5 (प्रश्न पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरांत एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

2.18 मॉडल आंसर्स के संबंध में अभ्यावेदन/फायनल आंसर्स :–

(1) मॉडल आंसर्स :– परीक्षा के सफल आयोजन के 01 दिन उपरांत प्रश्न पत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर मॉडल उत्तर (Model Answers) के रूप में मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। मॉडल आंसर में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण उत्तरों के संबंध में परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियां निर्धारित प्रारूप–6 (मॉडल उत्तर के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा उपरांत मॉडल आंसर्स मंडल की वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर मंडल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी।

(2) फायनल आंसर्स :– प्रारूप 05 में प्रश्न पुस्तिका के त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों तथा प्रारूप 06 में मंडल द्वारा प्रदर्शित माडल उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को ''की'' समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। ''की'' समिति द्वारा सभी अभ्यावेदनों सें संबंधित प्रश्नों/उत्तरो के पूर्ण परीक्षण उपरांत निराकृत करने के पश्चात् फायनल आंसर्स (Final Answers) तैयार किये जायेगे, इस प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक 2.16 अनुसार ''की'' समिति द्वारा प्रश्नों को निरस्त भी किया जा सकेगा। समिति द्वारा उन प्रश्नों/उत्तरो के संबंध में कोई विचार नही किया जायेगा जिन पर अभ्यावेदन प्राप्त नही हुए है। इस प्रकार तैयार फायनल आंसर्स (Final Answers) के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये फायनल आंसर्स (Final Answers) परिणाम उपरांत मण्डल की बेवसाईट पर उपलब्ध रहेगे। ''की'' समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा सभी आवेदकों के लिये बंधनकारी होगा।

2.19 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :–
अध्याय–1 से 2 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। पुलिस विभाग के दिशा निर्देश अनुसार परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।

2.20 अंक सूची :–
पुलिस विभाग के दिशा निर्देश पर परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड की जा सकेगी। तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.21 म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :–

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.22 न्यायिक क्षेत्राधिकार :–

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

–––0–––

अध्याय – 3

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

लिखित परीक्षा का योग 100 अंकों का निम्नानुसार होगा। सभी प्रश्न म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की आठवीं कक्षा के स्तर के होंगे ।

(अ) सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक

(ब) बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरूचि 30 अंक

(स) विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 अंक

<u>प्रारूप–1</u>

अध्याय–4
प्रमाण–पत्रों के प्रारूप

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये स्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हों तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किस एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें :–

1. जिलाध्यक्ष / अपर जिलाध्यक्ष / उप जिलाध्यक्ष / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा अधिकृत अन्य कोई अधिकारी।

स्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये –

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला..मध्य प्रदेश
पुस्तक क्रमांक......................................
प्रमाण पत्र क्रमांक....................................प्रकरण क्रमांक.................................

स्थायी जाति प्रमाण पत्र–नियम 8 (1)

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री / श्रीमती / कुमारी.. पिता / पति का नाम ....निवासी / ग्राम / नगर .... विकास खण्ड .... तहसील............................जिला..................................संभाग... जाति / जनजाति का / की सदस्य हैं और इस जाति / जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह .... जाति / जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक... पर अंकित हैं, अतः श्री / श्रीमती / कुमारी ....पिता / पति का नाम ....अनुसूचित जाति / जनजाति का / की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी...के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.................................हैं।

दिनांक ....

हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

प्रारूप–2

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हो तथा उनके पास जाति संबंधी स्थाई प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें:–

1. संबंधित (राजस्व) अधिकारी/तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायव तहसीलदार।

अस्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये –

(अस्थायी प्रमाण पत्र) नियम 8 (2)
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला..मध्य प्रदेश
पुस्तक क्रमांक......................................
प्रमाण पत्र क्रमांक....................................प्रकरण क्रमांक.................................

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी... पिता/पति का नाम ....निवासी/ग्राम/नगर ....वि.ख. ....तहसील... जिला.. संभाग..जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रुप मे विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह .... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.. पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम .... अनुसूचित जाति/ जनजाति का/की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी...के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.....................................हैं।

दिनांक .... हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा।

<u>प्रारूप–3</u>

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये
प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप
(स्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(1)
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला...मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक....................................
प्रमाण पत्र क्रमांक..प्रकरण क्रमांक..

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी...पिता/पति का.... .... नाम ....निवास/ग्राम/नगर .... वि.ख..................तहसील..................जिला.. .... संभाग...मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो... जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया हैं। श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम ....और/उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला ....संभाग......................................में निवास करता हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी...क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग केपरिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक–एफ–7–26/93/1/आप्र./दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) मे किया गया हैं

3. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये..हैं।

दिनांक ....
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची।
प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता हैं।
जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/जिलाध्यक्ष अथवा शासन द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी।

प्रारूप–4

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये
प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप
(अस्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(2)
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला..मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..............................प्रमाण पत्र क्रमांक..प्रकरण क्रमांक...

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पिता/पति का नाम ....निवास/ग्राम/नगर ....वि.ख.. तहसील..जिला.................................. संभाग..............................मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो......................... जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम .... और/उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला ....संभाग में निवास करता हैं। यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी...क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/ वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक–एफ–7–26/93/1/आप्र./दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) मे किया गया हैं

3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...हैं।

दिनांक ....
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची। प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता हैं। संबंधित राजस्व अधिकारी/ तहसीलदार/ अतिरिक्त तहसीलदार/ नायव तहसीलदार

यह प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेंगा।

नोट : वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता हैं तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

प्रारूप–5
(देखें नियम 2.15)

प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों / उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन
(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित प्रश्न / उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :–

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक / उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर.................................
आवेदक का नाम.....................................

स्थान ....
दिनांक ....

प्रारूप–6
(देखें नियम 2.16)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन
(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :–

स.क्र.	उत्तर क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यार्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर..................................

दिनांक ....